

उच्च न्यायालय की पीठों के प्राधिकार

प्रलिसः

[जनहति याचिका](#), [उच्च न्यायालय](#), न्यायकि पीठ

मेन्सः

[जनहति याचिका](#), [उच्च न्यायालय का कषेत्राधिकार](#)

[स्रोतः द हद्वि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मद्रास [उच्च न्यायालय](#) ने सभी प्रकार की [जनहति याचिकाओं \(PIL\)](#) पर नरिणय लेने के लयि मदुरै पीठ के प्राधिकार को बहाल कर दयिा है, जसिमें उसके कषेत्रीय अधकिार कषेत्र के भीतर केवल 13 ज़लिों के बजाय संपूरण राज्य से संबंघति मामले शामिल हैं ।

नोटः चेन्नई में मद्रास उच्च न्यायालय की **मुख्य पीठ** की मदुरै में एक **स्थायी पीठ** है, जो **मूल कषेत्राधिकार को छोडकर** सभी मामलों में मुख्य पीठ को प्रतबिबिति करते हुए अपने कषेत्राधिकार का प्रयोग करती है ।

मद्रास न्यायालय का नरिणय क्या है?

■ मुददेः

- मद्रास [उच्च न्यायालय](#) के पूरव [मुख्य न्यायाधीश](#) द्वारा पारति एक नरिणय में ज़लिा-वशिषिट मामलों पर ध्यान केंद्रति करते हुए, **मदुरै पीठ** के बजाय न्यायालय की **मुख्य पीठ** पर राज्यव्यापी मंदरि के हतियों के संबंघ में जनहति याचकिा दायर करने की आवश्यकता पर ज़ोर दयिा गया था ।

■ नरिणयः

- हालयिा नरिणय में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के अधकिारों को सभी प्रकार की **जनहति याचिकाओं की सुनवाई के लयि बहाल कर दयिा** गया है, जसिमें वे मुददे भी शामिल हैं जो संपूरण राज्य से संबंघति हैं, न केवल इसके **अधकिार** कषेत्र के तहत आने वाले 13 ज़लिों से ।
 - न्यायालय ने कहा कियदि आवश्यक हो तो **मुख्य न्यायाधीश** एक मामले को मुख्य पीठ से स्थायी पीठ में **हस्तांतरति कर सकते हैं**, लेकनि **सभी पैन-स्टेट मामलों को** केवल मुख्य पीठ में दायर करने की आवश्यकता वाला एक **व्यापक आदेश** मदुरै पीठ के कामकाज के लयि उपयुक्त नहीं होगा ।

■ नरिणय का कानूनी आधारः

- न्यायालय ने मदुरै पीठ के गठन के लयि वर्ष **2004** में जारी **राष्ट्रपति की अधसिचना** पर वशिवास कयिा, जसिमें **इस प्रकार का कोई प्रतबिंध नहीं लगाया गया था** ।
- न्यायालय ने यह भी टपिणी की क **बी. स्टालनि बनाम रजसिट्रार, 2012** में एक संपूरण पीठ के नरिणय ने स्पष्ट कयिा क मदुरै पीठ में दायर एवं सुनवाई की जा सकने वाली जनहति याचकिाओं के प्रकारों पर **कोई प्रतबिंध नहीं** था, हालाँकि इसने **मुख्य न्यायाधीश के मामलों को** मुख्य पीठ और मदुरै पीठ के बीच **हस्तांतरति करने के अधकिार** की पुष्टकिी ।

उच्च न्यायालय तथा स्थायी पीठों की स्थापना की प्रक्रयिा क्या है?

■ उच्च न्यायालय की पीठों की स्थापनाः

- भारत के संबघान के **अनुच्छेद 214** में प्रावघान है कप्रत्येक राज्य के लयि एक उच्च न्यायालय होगा ।

- हालाँकि, **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51** में मुख्य स्थान से दूर पीठ स्थापित करने का प्रावधान है।
- **न्यायमूर्त जसवंत सहि आयोग:**
 - वर्ष 1981 में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में उच्च न्यायालय की पीठों की मांग पर विचार करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया था।
 - बाद में वर्ष 1983 में उच्च न्यायालयों के मुख्य स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पीठों की स्थापना के सामान्य प्रश्न की जाँच करने के लिये संदर्भ की शर्तों का विस्तार किया गया।
 - **सफारिशें:**
 - आयोग ने क्षेत्र की विशेषताओं, जनसंख्या आकार, क्षेत्र, यात्रा और संचार के साधन, मुकदमों के लिये दूरी, लंबित दर, बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता एवं कानूनी प्रतभा सहित कई **मानदंडों की सफारिश** की।
- **सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति:**
 - एक रटि याचिका में **सर्वोच्च न्यायालय** ने मुख्य स्थान के अतिरिक्त अन्य केंद्रों पर उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की मांग की जाँच की, जिसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि निर्णय, भावनात्मक या संकीर्ण विचारों पर नहीं बल्कि, तर्क पर आधारित होने चाहिये।
 - पीठों की स्थापना के लिये राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के बीच सर्वसहमती आवश्यक होती है।
- **केंद्र सरकार की भूमिका:**
 - मुख्य न्यायाधीश और **राज्यपाल** की सहमति और राज्य सरकार से **पूर्ण प्रस्ताव** प्राप्त होने के बाद ही सरकार पीठ स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करती है।
 - राज्य सरकार बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने तथा उच्च न्यायालय और उसकी पीठ के संपूर्ण व्यय को वहन करने के लिये ज़िम्मेदार होती है।
 - उच्च न्यायालय के **मुख्य न्यायाधीश** उसकी पीठ के **दैनिक प्रशासन का प्रबंधन** करते हैं, और आवश्यकतानुसार मुख्य सीट से न्यायाधीशों को पीठ में नियुक्त करते हैं।
 - बेंचों की स्थापना पर निर्णय लेने के लिये राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के बीच **सर्वसम्मति** की आवश्यकता वाले **परामर्शी दृष्टिकोण** को अपनाया जाता है।

भारत का संविधान

भाग VI | राज्य | उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 215: उच्च न्यायालयों का अभिलिख न्यायालय होना।

अनुच्छेद 222: एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण।

अनुच्छेद 225: उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार।

अनुच्छेद 226: कुछ रटि जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति।

अनुच्छेद 230: उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्रशासित प्रदेशों तक विस्तार।

अनुच्छेद 231: दो या दो से अधिक राज्यों के लिये एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना।

जनहति याचिका क्या है?

- **जनहति याचिका (PIL)** की अवधारणा **1960** के दशक में **संयुक्त राज्य अमेरिका** में प्रारंभ एवं विकसित हुई।
- भारत में जनहति याचिका **न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण** है। **न्यायमूर्त वी.आर. कृष्णा अय्यर तथा जस्टिस पी.एन. भगवती PIL** की अवधारणा के प्रणेता थे।
- भारत में PIL की शुरुआत '**लोकस स्टैंडी**' के पारंपरिक नियम में छूट प्राप्त हुई। **इस नियम के अनुसार केवल वही व्यक्ति जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उपचार के लिये न्यायालय जा सकता है, जबकि जनहति याचिका इस पारंपरिक नियम का अपवाद है।**
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहति याचिका को **"सार्वजनिक हति अथवा सामान्य हति को लागू करने के लिये न्यायालय में शुरू की गई एक कानूनी कार्रवाई के रूप में परिभाषित** किया गया है जिसमें जनता अथवा समुदाय के एक वर्ग का आर्थिक हति या कुछ अन्य हतियों के साथ-साथ उनके कानूनी अधिकार एवं दायित्व भी प्रभावित होते हैं।"
- जनहति याचिका को **किसी कानून अथवा किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं** किया गया है। बड़े पैमाने पर जनता की मंशा पर विचार करने हेतु **न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या** की गई है।
- **जनहति याचिका के तहत विचार किये जाने वाले कुछ मामले हैं:**
 - बंधुआ मजदूरी के मामले

- उपेक्षति बच्चे
- श्रमकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान न करना और आकस्मिक श्रमकों का शोषण
- महिलाओं पर अत्याचार
- पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिक संतुलन में गड़बड़ी ।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत की न्यायिक प्रणाली में जनहति याचिका (पीआईएल) की भूमिका और महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। पछिले कुछ वर्षों में जनहति याचिका कैसे विकसित हुई है और इसका शासन तथा सामाजिक न्याय पर क्या प्रभाव पड़ा है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा सही है? (2013)

- भारत में एक ही व्यक्तिको एक समय में दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं कयिा जा सकता ।
- भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त कयि जातें हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कयि जातें हैं ।
- भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रयिा अधिकथति नहीं है ।
- वधियी व्यवस्था वाले संघ राज्यक्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है ।

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजिये:(2021)

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कसिी भी सेवानवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपतिकी पूर्व अनुमतिसे वापस बैठने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लयि बुलाया जा सकता है ।
- भारत में उच्च न्यायालय के पास अपने नरिणय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कसि सर्वोच्च न्यायालय करता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)